

आदेश पत्रक

केश का प्रकार - दाखिल खारीज  
अभिलेख संख्या - 88/16-17

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिपणी तारीख सहित										
11/6	<p>श्री <u>रघुभूषण मठाले</u> पिता <u>हेमल मठाले</u>  ग्राम <u>अमरवुखरी</u> अंचल देवरी जिला  गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्यारे की जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन श्री <u>मोदी मठाले</u> पिता <u>हेमल मठाले</u> ग्राम <u>अमरवुखरी</u> अंचल देवरी से बजरिये केवाला संख्या 7460 दिनांक 10.11.93 के द्वारा क्रय किया गया है।</p> <table border="1"> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना न0</th> <th>खाता न0</th> <th>प्लॉट न0</th> <th>रकबा</th> </tr> <tr> <td>अमरवुखरी</td> <td>252</td> <td>44</td> <td>494</td> <td>64 बीघे</td> </tr> </table> <p>पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तेहार निर्गत करें। इसी बीच हल्का कर्मचारी से आवेदन पत्र पर स्थानीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 21/6/16 को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी, देवरी।</p> <p>अंचल अधिकारी, देवरी।</p>	ग्राम	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा	अमरवुखरी	252	44	494	64 बीघे	
ग्राम	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा								
अमरवुखरी	252	44	494	64 बीघे								

3/6/16  
30/5/16

~~ओराम~~ अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा आपति नहीं दिया गया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्राप्त है उन्होंने प्रतिवेदित किया किया है कि आवेदित जमीन गैरमजरूआ खास/ रैयती/ बकास्त/ खाते की है जिसकी जमाबंदी पंजी ॥ के भेलूम संख्या ११ के पृष्ठ संख्या 106 पर विक्रेता के दादा के नाम जमाबंदी दर्ज है। जमीन भूहदबंदी भूदान वनसीमा एवं सैरात से बाहर है जमीन पर क्रेता का शान्तिपूर्ण दखल है आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतएव हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामान्तरण क्रेता श्री/श्रीमति खुशमलाल मत्तरी पिता/मति हेमल मत्तरी ग्राम जगरपुरखरी के नाम ... किया जाता है।

ग्राम	थाना न०	प्लॉट न०	रकबा	माल
जगरपुरखरी	252	494	64/90	15 पैसा

सम्बन्धित सहायक तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संसोधित

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

महेश्वर  
के दादा